

संख्या 4386

पत्रावली सं०—GHD1307

दिनांक 06/02/18



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या 309/2017 - 2018

फाइल संख्या GHD1307

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर कपूर सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी पता-ग्राम ढन्डेरा, रुडकी, जिला हरिद्वार को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 0168/2012 - 2013 दिनांक 15/12/2012 को दिनांक 14/12/2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

1,400.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 27/02/2018

उप निबन्धक
सोसायटी रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड
हरिद्वार

संख्या 4386

पत्रावली सं०-GHD1307

दिनांक 06/02/18



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या 309/2017 - 2018

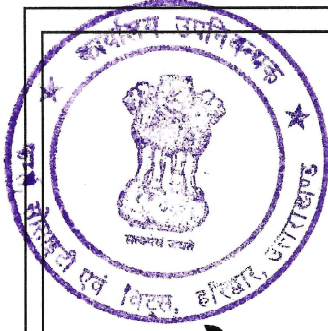
फाइल संख्या GHD1307

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर कपूर सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी पता-ग्राम ढन्डेरा, रुडकी, जिला हरिद्वार को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 0168/2012 - 2013 दिनांक 15/12/2012 को दिनांक 14/12/2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

1,400.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 27/02/2018

उप निबन्धक
सोसायटी एजुकेशन
उत्तराखण्ड



1205
06-03-23



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या : RENEW0223006412

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर कपूर सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी , GRAM DHANDERA ROORKEE HARIDWAR UTTARAKHAND Haridwar Uttarakhand 247667 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK0680322023010483 , दिनांक : 15-DEC-2012 को दिनांक : 13-DEC-2027 तक के लिए नवीकृत किया गया है। रु 4100 /- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक : 02-MAR-2023

सोसाइटी-रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

Signature valid

Digitally signed by: Ms Neetu Bhandari
Reason : SOCIETY E-Approval
Location: Haridwar Treasury
Date and Time: 03-03-2023 13:27:33



कोषाधिकारी (उत्तराखण्ड)
कोड संख्या - 5500
21 NOV 2012
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

UTTARAKHAND

16AA 576279



यह जनरल स्टाम्प पोस्ट संख्या 16AA 576279
313 L 22 L से मे. (मूल रजिस्ट्रेशन है, मूल 2)
के * / 11/11/12 जिला हरिद्वार सं० 6710 1307
के अनधिकृत प्रतिनिधि के
साथ संलग्न है।

उप निबन्धक
कर्म/सोसाइटीज एवं चिट्ठे
हरिद्वार
19/11/12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड (Uttarakhand)
कोड संख्या - 5540

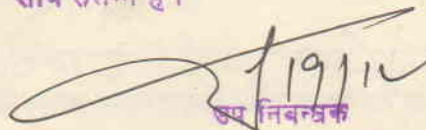
21 NOV 2012

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)



16AA 576280

यह जनरल स्टाम्प पेपर संख्या 16 AA 576280
21 नवंबर 2012 को जारी किया गया है।
जिसकी प्रतिलिपि संख्या 1307
के 20/11/12 को प्रमाणित प्रतिलिपि के
साथ संलग्न है।



उप निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्ठे

हरिद्वार

19/11/12

स्मृति-पत्र



उत्तराखण्ड शासन

1. संस्था का नाम - ठाकुर कपूर सिंह मेमोरिएल एग्रीकल्चर सोसायटी
 2. संस्था का पूरा पता - ग्रा. इन्वेष्ट - त. हड़नी जि. हरिद्वार
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय / समस्त उत्तराखण्ड / भारत
 4. संस्था का उद्देश्य
- (I) पूर्ण (Charitable) प्रयोजन के लिये कार्य करेगी।
हर स्तर पर शिक्षण साधन चलायाना
 - (क) तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षण चलायाना शिक्षा देना
 - (ख) दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चलायाना शिक्षा देना
 - (ग) आपन वेड - आपन वि. वि. स. अनुमति केका शिक्षा देना
 - (II) विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए शिक्षण के लिये कार्य करेगी।
बच्चों के गणित विज्ञान पढ़ने को प्रोत्साहित करना - भाग्य दर्शक बनना
 - (क) युवा वर्ग को रोजगार परक शिक्षा देना
 - (ख) महिलाओं - युवतियों को दालकारी को शिक्षा देना स्वावलम्बी बनाना
 - (ग) कुड़ाखिन्ने वाले व स्थल न जातेक बच्चों को शिक्षा देना
 - (III) उपयोगी जानकारी के प्रसार, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये कार्य करेगी।
कच्चा भुण हटाना के प्रति जागरूकता पैदा करना
 - (क) पात्र बीड़ी गुटला दाढ़ स्थापित तथो के प्रति सभी को जागरूक करना
 - (ख) आपदा के निपट जेतना को मदद करना
 - (ग) हाउआर के मिमिका केअर लगाना
 - (IV) सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जंतता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण के लिये कार्य करेगी।
सभी के लोक के लिए पुस्तकालयों वाचनालय बनाना
 - (क) सभी प्रकार के पत्रपत्रिका प्रदुषण के प्रति कार्य करना - पेड़ लगाना
 - (ख) हाउआर के लेल कुद करना
 - (ग) बाद निवाद - गो छेपा - लेफेना भापो जेतना सभी को लाभ वर्धन करना
 - (V) रंग चित्रों और कला कृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिये कार्य करेगी।
हाउआर कला प्रतिरोधिता हो का आयोजन करना
 - (क) नैडि कला कोलेज (नैडि प्रेड, एलोपेड, हेरोपेड) खोलना
 - (ग) ...
 - (VI) नैसर्गिक (Natural) इतिहास के संरक्षण के लिये कार्य करेगी।
बच्चों को नवीन/प्राचीन भाषा/विश्व इतिहास के अवगत करना 18/11/21
 - (क) पंचांगेरी रात्र के कोलो बनाना
 - (ग) ...

सत्यप्रतिलिपि

उप निदेशक
कर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
हरिद्वार

कुरुनेदकी Preethisingh आनंद कुमार (Karan Singh)

1) यांत्रिक (Mechanical) तथा दार्शनिक (Philosophical) अविष्कारों, दस्तावेजों या अभिकल्पनाओं के लिए कार्य करेगी।

(क) R.T.I., R.F.E. व प्रमेयों सहित डॉक्यूमेंट को हरी को प्रमाणित देता।

(ख)

(ग)

(VIII) संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग एवं ग्राम्य विकास के लिये कार्य करेगी।

(क) लघु उद्योग स्थापित कराना या पूरा कराने को प्रोत्साहित करना

(ख)

(ग)

संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे।

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद, तथा व्यवसाय जिनकों संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	प्रीति सिंह	श्री. श्री. गो. व. सिंह	रघुलपुर-देवर-द. प. उ. र.	अध्यक्ष	नौकरी	Preetisingh
2.	मन सिंह	श्री. श्री. कृष्ण सिंह	रघुलपुर-राजपुरा पटियाला	उपाध्यक्ष	"	Man Singh
3.	कुसुमदेवी	श्री. श्री. जिवे-उ. सिंह	5-देरा - ह. ड. गी	सचिव	समाजसेवा	Kusumadevi
4.	कुलदीप सिंह	श्री. श्री. नाहर सिंह	" "	कोषाध्यक्ष	ह. वि.	Kuldeep Singh
5.	मणि कुमार	" " धूल सिंह	" "	सदस्य	कृषि	Mani Kumar
6.	अशोक शर्मा	" " श्री. के. जी. शर्मा	ह. ड. गी. अ. ड. गी.	"	समाजसेवा	Ashok Sharma
7.	मणि कुमार (कु. 21वां)	" " सुदेश कुमार	नटपुड़ा बुलडी	"	"	Mani Kumar

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

कुसुमदेवी
सत्य प्रतिलिपि
दिनांक 15.11.12
(सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम सहित)

नोट: प्रबन्धकारिणी में कम से कम 04 पदाधिकारियों/सदस्यों का होना आवश्यक है।

नियमावली



1. संस्था का नाम- डाक्टर कपुर सिंह केजीपल एजुकेशन सोसायटी
2. संस्था का पूरा पता- ग्रा. 5 नं. 2, नं. 57, डि. 0, ए. 1, 2
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय/समस्त उत्तराखण्ड/भारत।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

(क) आजीवन सदस्य - भारत का कानून न्यायिक विधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को इस की का सदस्य बन सकता है। उसे 2,00,000 रु. एकमुश्त देने होंगे। आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(ख) विशिष्ट सदस्य - संस्था के हित के लिए एक वर्ष के लिए प्रायः 10,000 रु. तक मानव संसाधन को जोड़ सकते हैं। विशिष्ट सदस्य कहलायेगा।

(ग) सामान्य सदस्य - भारत का कानून न्यायिक विधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को इस की का सदस्य बन सकता है। उसे 50,000 रु. एकमुश्त देने होंगे। सामान्य सदस्य कहलायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :- निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

- (क) मृत्यु हो जाने पर ।
- (ख) पागलपन हो जाने पर ।
- (ग) न्यायलय द्वारा दण्डित होने पर ।
- (घ) दिवालिया होने पर ।
- (ङ) सदस्यता शुल्क न देने पर ।
- (च) संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

6. संस्था के अंग :- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा :-

- (अ) गठन :- सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कई बार/कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतु प्रायः 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा ।
- (द) गणपूर्ति :- बैठक हेतु 2/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी ।
- (य) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में

उत्प्रेषित की बहुमत से तय की जायेगी ।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

सत्यप्रतिलिपि

सचिव

कानून सौदागरी एवं बिद्वत्

सचिव

19/11/11

डा. क. क. क.

- 1) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :- साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा ।
संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना ।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-

(अ) गठन :- साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा । इसमें
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष
तथा.....तीन.....सदस्य होंगे ।

(ब) बैठक:- सामान्य बैठक वर्ष में.....तीन.....बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता
पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतु.....प्राच्य.....दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा
तथा विशेष बैठक हेतु.....एक.....दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा ।

(द) गणपूर्ति :- बैठक की गणपूर्ति हेतु.....2/3.....पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक
होगी ।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी ।
साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति कर सकेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार :- (1) संस्था के सभी कार्यक्रमों का
क्रियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना । संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक
बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं
की नियुक्ति व मुक्ति, दान-अनुदान स्वीकार करना ।

(2) निर्णीत संचालन विशेष धन.....

(3) संस्था हित देना.....

(ल) कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल.....तीन.....वर्ष होगा ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

(क) अध्यक्ष :- :- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना,
संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से
स्वीकृत हो करवाना आदि ।

(ख) उपाध्यक्ष:- :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना ।

उप निबन्धक
कर्म होसाइटीज एवं चिदर
हरिद्वार

15/11/14

:- कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, अगामी बैठक में

(ग) कोषाध्यक्ष/

:- संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना ।

को संस्था के कार्यों में सहयोग करेंगे।

(च) राज्य के व सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना।

(छ) सत्या दित दलित

(ज)

(झ)

8. संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया:- संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जायेगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किससे जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

9. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):- संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा नामित व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

सत्यप्रतिलिपि

10. प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र :- प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

11. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:- आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवाया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा-6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रधान पद अधिकारी का होगा। 18/11

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

- (क) सदस्यता रजिस्टर।
- (ख) कार्यवाही रजिस्टर।
- (ग) स्टॉक रजिस्टर।
- (घ) कैश बुक।
- (ङ) रसीद बुक।
- (च) ऐजेन्डा रजिस्टर आदि।

14. संस्था के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 15.11.12

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

कुशुमा देवी

Preedising

मानि लुगार

Ampl



सत्यप्रतिलिपि

सचिव
समाजिक कल्याण
दिल्ली

18/11/12